

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी 3/1, अग्नेदकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(16) उ.मै.छा./पोर्टल/सान्याअवि/2018-19/

9 941


दिनांक : 20/02/2019

आदेश

शैक्षणिक वर्ष 2016-17 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं यथा: अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में कतिपय आवेदन पत्रों में आंशिक कमियां अथवा आक्षेप होने के कारण विद्यार्थियों/शिक्षण संस्थानों को स्वीकृतकर्ता अधिकारी तक आवेदन पत्र ऑनलाईन फारवर्ड तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त पात्र आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी कर, संबंधित विद्यार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाईन भुगतान करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की गई है :-


| क्र.सं. | विषय वस्तु   | निर्धारित तिथियां |
|---------|--|-------------------|
| 1       | विद्यार्थियों के स्तर पर आक्षेप/अन्य कारणों से लम्बित आवेदन पत्रों की आक्षेप पूर्ति कर शिक्षण संस्थान को ऑनलाईन फारवर्ड करने की अन्तिम तिथि  | 10 मार्च 2019     |
| 2       | शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच कर पात्र आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (विभागीय जिलाधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी) तक ऑनलाईन फारवर्ड करने की अन्तिम तिथि | 15 मार्च 2019     |
| 3       | स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा समस्त पात्र आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर भुगतान करने की अन्तिम तिथि   | 31 मार्च 2019     |

उक्त तिथियों के पश्चात् शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लंबित /आक्षेपित एवं भुगतान से वंचित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

  
(सांवरमल वर्मा)  
आयुक्त

क्रमांक : एफ 9(4)(16)छात्र./पोर्टल/सान्याअवि/2018-19/ 9942-10042 दिनांक : 20/02/19  
प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार/श्रम एवं नियोजन, जयपुर।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर
5. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
7. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग जोधपुर
8. वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर।
9. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी (समस्त)
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
12. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, (समस्त).....
13. प्रबन्ध निदेशक/रजिस्ट्रार/निदेशक, (राज्य से बाहर की राजकीय/एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थान.....
14. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....
15. प्राचार्य राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....
16. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....
17. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....
18. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएँ.....
19. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को पोर्टल पर उपरोक्तानुसार बेवसाइड पर अपलोड करवाने, संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने एवं आदेशानुसार सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से संमन्वय स्थापित कर पोर्टल पर वांछित कार्यवाही करवाने हेतु प्रेषित है।
20. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु
21. प्रभारी अधिकारी (समस्त) निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
22. उप निदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त).
23. आदेश पत्रावली।

  
20.2.19  
✓ अतिरिक्त निदेशक  
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)